

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 384 सन 2018

अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

बनाम

1. हनुमान पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।
2. रामेती 3 चन्द्रकला 4 सरस्वती 5 धापा 6 सरोज 7 सुमन पुत्रीया हनुमान जाति जाट साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 01.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 97/54 के खसरा न0 53/1 की 3.4520हैक खसरा न0 72 की 1.1130हैक खसरा न0 149/1 की 1.5430हैक खसरा न0 126/1 की 5.0330हैक कुल 11.1410हैक एवं उदासर बडा के खाता संख्या 98/53 के खसरा न0 209/3 की 3.7050हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा भूराराम पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर ओद हुई है जिनके द्वारा खाता विभाजन करवाने पर उनके पुत्रों पर ओद हुई जिनके द्वारा खाता विभाजन करवाने पर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 97/54 के खसरा न0 53/1 की 3.4520हैक खसरा न0 72 की 1.1130हैक खसरा न0 149/1 की 1.5430हैक खसरा न0 126/1 की 5.0330हैक कुल 11.1410हैक एवं उदासर बडा के खाता संख्या 98/53 के खसरा न0 209/3 की 3.7050हैक भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिरसो में आई जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिरसा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में

दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहनें हैं ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद की प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बड़ा के खाता संख्या 97/54 की 11.1410 हैक् एवं खाता संख्या 98/53 की 3.7050 हैक् दोनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजसाय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तुरतीव तकमील जावा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

Saxidi
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)